न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 82/2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
पपाराम पुत्र श्री बचनाराम जाति नायक, निवासी ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. छोटाराम पुत्र अमराराम 2. श्रीमति दरियाव पत्नी अमराराम 3. पप्पुराम पुत्र अमराराम 4. श्यामलाल पुत्र अमराराम 5. शारदा पुत्री अमराराम सभी जातियान बावरी सभी निवासीगण ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हालमुकाम् सिन्धीपुरा रोड़ पीपाड़शहर, जिला जोधपुर 6. श्रवणराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बायड़, तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री जी.एल. कंसारा एडवोकेट।
प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक :–** 18/5/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानावासिया चक 1, पटवार हल्का बाला, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 4.4819 हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिसके खाता संख्या 19 है। उक्त खसरे की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का का 1/12–1/12 वॉ हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार उक्त रकबे में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसका विधिवत् विभाजन आज दिन तक नही हुआ व न ही उक्त रकबे के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि रकबा अनुसार भूमि पर मौके पर काबिज है व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है। उक्त मौखिक बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित रकबे के अनुसार हुआ है। वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से 6 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित रकबा अनुसार राजस्व रेकर्ड में सयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम से सयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को विधिवत् बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत् बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने आज दिन तक न तो वादी के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादी के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा किया इसलिए वादी को अपने निहित व दर्ज रकबे की वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 02.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादी को इस आशय की धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादी के निहित व दर्ज रकबा 4.4819 हैक्टेयर भूमि को बिना विधिवत् बंटवाड़ा किये अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि में स्थित वादी के निहित व दर्ज रकबे से वंचित कर देंगे तथा मौके से बेदखल कर देंगे, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा किये जाने वाले उक्त गैर कानूनी कृत्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, इसलिए यह वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 02.11.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादी को इस आशय की धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादी के निहित व दर्ज रकबा 4.4819 हैक्टेयर भूमि को बिना विधिवत् बंटवाडा किये अन्य सख्श को बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा वादी को वादग्रस्त भूमि में स्थित वादी के निहित व दर्ज रकबे से वंचित कर देंगे तथा मौके से बेदखल कर देंगे तथ वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में आज दिन तक विधिवत् बंटवाडा करने हेतु सहमत नही होने पर बमुकाम ग्राम कानावासिया चक नम्बर 1 तहसील बिलाडा में पैदा हुआ है। अन्त में वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानावासिया चक 1 पटवार हल्का बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 4.4819 हैक्टेयर भूमि में वादी के 1/12 वॉ हिस्से की भूमि का जरिये मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अलग से खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से में आई भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया वादी का दावा दिनांक 21.09.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम कानावासिया चक 1 पटवार हल्का बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 208 रकबा 4.4819 हैक्टेयर में स्थित वादी का 1/12 वॉ हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाड़ा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है खसरा नम्बर 208 रकबा 0.3735 हैक्टेयर वादी पपाराम पुत्र बचनाराम जाति नायक सा. ओलवी खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 208 रकबा 2.2409 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 श्रवणराम पुत्र कालूराम, जाति मेघवाल सा. बायड़, तहसील मेडता जिला नागौर के बंट में रखी गयी तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 208 रकबा 1.8675 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 पप्पुराम 1/5 हिस्सा, श्यामलाल 1/5 हिस्सा, छोटाराम 1/5 हिस्सा, दरियाव 1/5 हिस्सा, शारदा 1/5 हिस्सा जातियान बावरी सा. बाला खातेदार के शामलाती बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/4/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
ब इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
पपाराम पुत्र श्री बचनाराम जाति नायक, निवासी ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. छोटाराम पुत्र अमराराम 2. श्रीमति दरियाव पत्नी अमराराम 3. पप्पुराम पुत्र अमराराम 4. श्यामलाल पुत्र अमराराम 5. शारदा पुत्री अमराराम सभी जातियान बावरी सभी निवासीगण ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हालमुकाम् सिन्धीपुरा रोड़ पीपाड़शहर, जिला जोधपुर 6. श्रवणराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बायड़, तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 82 / 2020

निर्णय दिनांक :– 18/5/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री जी.एल. कंसारा अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कानावासिया चक 1 पटवार हल्का बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित्त खसरा नम्बर 208 रकबा 0.3735 हैक्टेयर वादी पपाराम पुत्र बचनाराम जाति नायक सा. ओलवी खातेदार के बंट में रखी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 208 रकबा 2.2409 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 6 श्रवणराम पुत्र कालूराम, जाति मेघवाल सा. बायड़, तहसील मेडता जिला नागौर के बंट में रखी गयी तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 208 रकबा 1.8675 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 पप्पुराम 1/5 हिस्सा, श्यामलाल 1/5 हिस्सा, छोटाराम 1/5 हिस्सा, दरियाव 1/5 हिस्सा, शारदा 1/5 हिस्सा जातियान बावरी सा. बाला खातेदार के शामलाती बंट में रखी गयी। बंटवाड़ा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादीगण के वांद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह –सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/4/23 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा